



# उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

‘विद्युत नियामक भवन’ निकट आई.एस.बी.टी., पो0आ0-माजरा, देहरादून  
फोन-0135-2641115 फैक्स-2641314 Website [www.uerc.gov.in](http://www.uerc.gov.in) E-mail-[uttaranchalerc@rediffmail.com](mailto:uttaranchalerc@rediffmail.com)

## सार्वजनिक सूचना

### प्रारूप उविनिआ (टैरिफ के निर्धारण हेतु दिशा एवं शर्तें) विनियम, 2015 पर सुझाव आमंत्रण

आयोग द्वारा प्रारूप उविनिआ (टैरिफ के निर्धारण हेतु दिशा एवं शर्तें) विनियम, 2015 (Draft UERC (Terms and Conditions for Determination of Tariff) Regulations, 2015) जारी किया गया है। प्रारूप विनियम एवं कारणों का विवरण (SOR) आयोग की वेबसाइट [www.uerc.gov.in](http://www.uerc.gov.in) में अपलोड किया गया है।

- 2 यह प्रस्तावित विनियम वित्तीय वर्ष 2016-17 अर्थात् 01 अप्रैल 2016 से वित्तीय वर्ष 2018-19 अर्थात् 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिये, टैरिफ के निर्धारण हेतु सभी मामलों में लागू होंगे।
- 3 उक्त प्रारूप विनियम पर सभी स्टेकहोल्डर्स अपने सुझाव/आपत्तियां/प्रतिवेदन, अधोहस्ताक्षरी को अधिकतम दिनांक 30.06.2015 तक लिखित रूप से डाक द्वारा अथवा ई-मेल या स्वयं: उपस्थित होकर उपरोक्त पते पर आयोग के विचारार्थ प्रेषित कर सकते हैं।
- 4 निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त सुझावों/आपत्तियों/प्रतिवेदनों पर आदेश को अन्तिम रूप देते समय, आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

वि0सं0-12/2015-16

**सचिव**